

फर्द अहकाम

(नियम 25)

उपरवर्त. अधिकारी मुकाम नीमराना (अलोपर)


सर्वपात्रमिदं बनाम राजवीर सिंह

प्रतिना पत्र 212 नं० 87 सन् 12-06-2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलरा जज नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

12-18 साल भद पत्रावली मूल वड के साथ
पेशा हुक्म दफा राजी छट्टा डी वकील प्रथी
की एक पक्षीय बरस सुनी गयी। प्रस्तुत
इस्तावेजात का अवलोकन किया जानी कि प्रमाण
एक पक्षीय बरस सुनी के बाद जमीनियत के
पक्ष में सुनिये का संतुलन संशुद्धीकरण
आदि होना प्रपक इच्छा प्रवेत होत है।

अतः अजाकीरिण के पत्राव पेशा केल
वड अस्थाई तिके बरस चन्द्रनोजा से पय-ड
नियोजाल है कि वे सिवाइल का 170 एकर
1523, 2020, 2021, 1498, 1606, 1505, 1466, 1487,
1409, 1504, 1398, 1404, 2009, 2010, 2011, 2016,
2136, 2137, 2138, 2177, 2178, 2179, 1486, 2070,
2003, 1437, 1476, 1399, 1400, 1403, 1485, 2181,
वर्तमान अगल कोर वड नीकरता मिस्त्र-अलपर
राजव से निवड की अथा। स्थिति बनाये रखे।
वस संवेध में कोई आपत्ति है तो आप संघ
अथवा नरिई आदिपन्था हाकिम अदालत आदि
अपना जबाब पेशा करें। वरिन् वकील अजाकीरिण
की अतिरिक्ती तलनी जाती है। अति सुदिलगत
पेशा नयी कलै की शरण में स्वगत आदेश निरुपस्थी
माना जायेगा। बाद तलनी पत्रा 8 दि० 31-7-18
के पेशा है।


उपस्थ अधिकारी
नीमराना (अलोपर)

